भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.403
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

विदेशी उपग्रह इंटरनेट सेवाएं

403. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की स्टारलिंक जैसी विदेशी उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को भारत में शुरू करने अथवा संचालित करने की अनुमति देने की कोई योजना है और यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसी सेवाओं को विशेषकर आंकडों की सुरक्षा और भारतीय कानूनों के अनुपालन के संबंध में अभिशासित करने के लिए क्या विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है;
(ग) विशेषकर दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को बढावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने विदेशी उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं द्वारा स्थानीय दूरसंचार और इंटरनेट सेवा उद्योगों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) दूरसंचार विभाग उपग्रह आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के तहत प्राधिकार प्रदान करता है। यूनिफाइड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अनुसार आवेदक भारतीय कंपनी अधिनियम-2013 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए। उपग्रह-आधारित संचार लाइसेंस आवेदक को सुरक्षा शर्तों सहित लागू लाइसेंसिंग निबंधनों

और शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी विदेशी या भारतीय उपग्रह प्रणाली/समूह को भारत के अंतरिक्ष में अपनी अंतरिक्ष क्षमता प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) से प्राधिकार प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है।

(ग) दूरसंचार विभाग के उपग्रह संचार सुधार-2022 से विनियामक प्रक्रियाएं सरल हुई है और लाइसेंसधारकों पर वित्तीय प्रभार कम हुए हैं। हाल ही के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रणालियों के निर्माण/पट्टे, स्वामित्व और प्रचालन के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाते हैं। कई ऑपरेटरों ने भारत में उपग्रह संचार उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन किया है जिसमें दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्र भी शामिल हैं।

(घ) उपग्रह-आधारित संचार सेवा लाइसेंसधारकों को सुरक्षा शर्तों सहित लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है। यह परिकल्पना की गई है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज के विस्तार के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाली और सस्ती सेवाएं उपलब्ध होंगी।

*****